रांची में, मंगलवार दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1. राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों से भिन्न राजपत्रित पदों पर नियुक्ति/पोन्नति का उत्तरदायित्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिए जाने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियम, 2000 के नियम–7 (ग) में संशोधन हेतु संलेख। **स्वीकृत।**

कल्याण विभाग

2. आदिवासियों के लिए आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण कार्य लाभुक समिति द्वारा कराये जाने के संबंध में। **स्वीकृत।**

विधि विभाग

3. न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु 04 (चार) रिसर्च स्कॉलर एवं 01 (एक) कैम्पस एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात कुल 05 (पांच) पदों का संविदा के आधार पर सृजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

4. झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किये गये प्रावधान में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

5. नीति आयोग, झारखण्ड सरकार एवं बोस्टन कंसलटेंट ग्रुप के साथ त्रिपक्षोय एकरारनामा करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

6. देवघर जिलान्तर्गत देवीपुर अंचल के विभिन्न मौजा, थाना सं0 एवं प्लॉट सं0 में अंतर्निहित कुल रकबा–236.92 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि किस्म–रैयती भूमि (SPIADA द्वारा अधिग्रहित), परती कदीम, रास्ता, आहर, नाला, गढ़हा एवं गोचर भूमि (गोचर भूमि का रकबा–35.27 एकड़) (विस्तृत विवरीण संलग्न अनुलग्नक–I) पर AIIMS की स्थापना हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी भू–हस्तांतरण एवं उक्त भूमि के निबंधन में निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क प्रभार्य नहीं होने के संबंध में। **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

7. ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा–1 की उपधारा–(4) में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

8. झारखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 28 दिनांक 20.06.2017 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

9. चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वादश् (बजट) सत्र दिनांक 17 जनवरी, 2018 से 07 फरवरी, 2018 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

10. विधायक योजना अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एव बच्चों में कुपोषण दूर करने हेतु गिफ्ट मिल्क योजना को शामिल करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

11. विधायक योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
ग्रामीण विकास विभाग
कल्याण विभाग
::अन्यान्य::

12. मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 'भूमिज' को भी परम्परागत प्रधान के रूप में अधिसूचित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

———

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक दिसम्बर, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण
राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची
विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची
अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग
सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक दिसम्बर, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करा दें।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

विभाग .....
माह/दिनांक..... में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन –

क्रमांक	**बैठक की तिथि**	**मद सं0 एवं विषय**	**कार्यान्वयन की वर्त्तमान स्थिति**